

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संवल पखवाड़ा शिविर बांय

अनुवान सुख राम बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना-पत्र संख्या - 189/2025

निर्णय दिनांक ...26/6/2025.....

सुख राम पुत्र गोपी राम जाति कुम्हार निवासी बांय तहसील तारानगर जिला चूरू

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट


--::निर्णय::--

प्रार्थी द्वारा पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संवल पखवाड़ा शिविर बांय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि खाता संख्या 524 खसरा सं. 1425/933 तादादी 5.2097 हैक्ट. खाता संख्या 562 खसरा नं. 396 तादादी 0.7840 हैक्ट., खसरा नं. 397 तादादी 5.2730, खसरा नं. 495 तादादी 6.1708 हैक्ट., खसरा नं. 994 तादादी 2.8451 हैक्ट. भूमि रोही ग्राम बांय में दर्ज रिकॉर्ड है। जिसमें प्रार्थी का नाम सुखाराम पुत्र गोपीराम दर्ज है जो कि गलत है सही नाम सुख राम पुत्र गोपी राम है। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि नाम शुद्धि कर दर्ज करवाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में संबंधित पटवारी हल्का ने प्रार्थी का नाम सुख राम पुत्र गोपी राम किये जाने की अभिशंका की गई है।

अतः कृषि भूमि रोही ग्राम बांय तहसील तारानगर के खाता संख्या 524 खसरा सं. 1425/933 तादादी 5.2097 हैक्ट. खाता संख्या 562 खसरा नं. 396 तादादी 0.7840 हैक्ट., खसरा नं. 397 तादादी 5.2730, खसरा नं. 495 तादादी 6.1708 हैक्ट., खसरा नं. 994 तादादी 2.8451 हैक्ट. भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम सुखाराम पुत्र गोपीराम Delete कर इसके स्थान पर सुख राम पुत्र गोपी राम अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के आदेश दिये जाते हैं तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ...26/6/2025... को कैम्प कोर्ट बांय में लिखाया जाकर सुनाया गया।


(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)